समाचार विज्ञप्ति

पारदर्शिता और चुनाव की निष्पक्षता को बढ़ावा

30 मार्च, 2026

प्रस्तावित विधेयक वेतन डिस्क्लोजर की सीमा को कम करेगा, नागरिक पहलों और रिकॉल प्रक्रियाओं की निगरानी को मजबूत करेगा, और चुनावी डीपफेक्स पर प्रतिबंध लगाएगा।

पारित किये जाने की स्थिति में जस्टिस स्टैट्यूट्स अमेंडमेंट एक्ट, 2026 सार्वजनिक क्षेत्र के वेतन डिस्क्लोजर की सीमा को कम करेगा, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अधिक खुलेपन वाला और सुलभ बनाएगा, और डीपफेक्स के निर्माण तथा वितरण पर प्रतिबंध लगाकर अलबर्टा के चुनावों की अखंडता की रक्षा करेगा।

“अल्बर्टा के नागरिक अपनी सरकार से पारदर्शिता के हकदार हैं, इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के वेतन डिस्क्लोजर को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता बना हुआ है। साथ ही, हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़े अपने कानूनों को लगातार बेहतर बना रहे हैं ताकि चुनावों की निष्पक्षता सुरक्षित रहे और अल्बर्टा के लोगों का हमारे लोकतंत्र पर पूरा विश्वास बना रहे।”
मिकी एमरी, न्याय मंत्री

सार्वजनिक क्षेत्र मुआवजा पारदर्शिता अधिनियम

इस अधिनियम के तहत मुआवजा डिस्क्लोजर की सीमा को घटाकर $130,000 किया जाएगा, ताकि सार्वजनिक जवाबदेही को मजबूत किया जा सके। कैलेंडर वर्ष में दूसरी बार सेवरेंस (नौकरी से हटा दिये जाने के बाद का भुगतान) की जानकारी देने की आवश्यकता को समाप्त किया जाएगा और इसे फिर से वर्ष में एक बार के डिस्क्लोजर तक सीमित किया जाएगा, जैसा कि परिवार और समुदायों की स्टैंडिंग कमेटी ने सिफारिश की है। सार्वजनिक क्षेत्र मुआवजा पारदर्शिता अधिनियम में ये अपडेट पारदर्शिता को मजबूत बनाए रखेंगे, साथ ही अनावश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाओं (रेड टेप) को कम करेंगे।

सिटिजन इनिशिएटिव एक्ट

सिटिजन इनिशिएटिव एक्ट में प्रस्तावित संशोधन पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाया जाएगा, जिससे न्याय मंत्री और याचिका प्रस्तावक को हस्ताक्षर सत्यापन प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए स्क्रूटिनियर्स नियुक्त करने की अनुमति होगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सत्यापन प्रक्रिया को लेकर किसी भी चिंता की स्थिति में हस्ताक्षर शीट उपलब्ध रहें, सफल नागरिक

Classification: Public

पहल याचिकाओं की हस्ताक्षर शीट्स को वर्तमान एक वर्ष के बजाय दो वर्षों तक सुरक्षित रखना होगा। सफल नागरिक पहल प्रस्ताव के परिणामस्वरूप जनमत संग्रह कराने की समय-सीमाओं को समाप्त कर दिया जाएगा। निर्धारित समय-सीमाओं को हटाने से जनमत संग्रह को उचित समय पर आयोजित किया जा सकेगा।

रिकॉल एक्ट

अन्य संशोधनों के समान, प्रस्तावित परिवर्तन रिकॉल याचिका में नामित विधायक (एमएलए) और याचिका आवेदक को स्क्रूटिनियर्स नियुक्त करने की अनुमति देंगे। अधिनियम में किए गए संशोधन यह भी स्पष्ट करेंगे कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सफल रिकॉल याचिका की हस्ताक्षर शीट्स को रिकॉल मतदान पूरा होने तक सुरक्षित रखना होगा।

इलेक्शन फाइनेंसेज़ एंड कॉन्ट्रिब्यूशन्स डिस्क्लोज़र एक्ट

अल्बर्टा की सरकार डीपफेक्स के मुद्दे को संबोधित कर रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि चुनाव निष्पक्ष और ईमानदार बने रहें। ऐसे डीपफेक्स का निर्माण और वितरण, जो किसी उम्मीदवार के आचरण या बयानों के बारे में मतदाताओं को गुमराह कर सकते हैं, प्रतिबंधित किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने पर व्यक्तियों पर अधिकतम $10,000 और संस्थाओं पर $100,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

इन सभी बदलावों से चुनाव, रिकॉल और नागरिक पहल प्रक्रियाओं को और बेहतर बनाया जाएगा तथा विश्वास को मजबूत किया जाएगा।

त्वरित तथ्य

- जस्टिस स्टैच्यूट्स अमेंडमेंट एक्ट, 2026 निम्नलिखित कानूनों में संशोधन करता है:
    - सार्वजनिक क्षेत्र मुआवजा पारदर्शिता अधिनियम
    - सिटिजन इनिशिएटिव एक्ट
    - रिकॉल एक्ट
    - इलेक्शन फाइनेंसेज़ एंड कॉन्ट्रिब्यूशन्स डिस्क्लोज़र एक्ट
- सार्वजनिक क्षेत्र मुआवजा पारदर्शिता अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों और सभी सार्वजनिक एजेंसी बोर्ड सदस्यों के मुआवजा और सेवरेंस का खुलासा हर वर्ष 30 जून को करना आवश्यक है।
- यह सीमा अल्बर्टा सरकार के कर्मचारियों के लिए $133,813 से घटाकर $130,000 और व्यापक सार्वजनिक क्षेत्र निकायों के लिए $159,676 से घटाकर $130,000 कर दी जाएगी।

- डीपफेक्स ऐसे दिखने में वास्तविक मीडिया होते हैं, जो किसी वास्तविक व्यक्ति को दर्शाते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन डिजिटल रूप से बनाए या संशोधित किए जाते हैं।
- डीपफेक्स को प्रतिबंधित किया जाएगा यदि वे मतदाताओं को निम्नलिखित के आचरण या बयानों के बारे में गुमराह करने की संभावना रखते हों:
    - पार्टी नेता
    - नेतृत्व या नामांकन प्रत्याशी
    - उम्मीदवार
    - मंत्री
    - विधायक (एमएलए)
    - मुख्य निर्वाचन अधिकारी
    - निर्वाचन आयुक्त
    - इलेक्शन्स अल्बर्टा के कर्मचारी
    - चुनाव अधिकारी

संबंधित जानकारी

- लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और सुरक्षा को बेहतर बनाना
- तथ्य पत्र: विधेयक 23: जस्टिस स्टैट्यूऐट्स अमेंडमेंड एक्ट, 2026

संबंधित समाचार

- लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास बहाल करना (दिसं. 4, 2025)
- लोकतंत्र को मजबूत करना (अप्रैल 29, 2025)